भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-3370

दिनांक 12 मार्च, 2026 को उत्तरार्थ

विद्युत संशोधन विधेयक का प्रभाव

†3370. श्री कार्ती पी. चिदम्बरम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विद्युत (संशोधन) विधेयक के प्रस्तावों के प्रशुल्क को युक्तिसंगत बनाने और वितरण सुधारों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ख) क्या सरकार ने पुनरोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के कार्यान्वयन के बाद डिस्कॉम की वित्तीय व्यवहार्यता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती पहुंच से उत्पन्न होने वाले ग्रिड स्थिरता के मुद्दों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग की शुरूआत की स्थिति क्या है; और

(ङ) क्या विद्युत उत्पादकों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विधायी अथवा विनियामक सुधारों का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : मसौदा विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2025 वितरण क्षेत्र में सुधार लाने, विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करने तथा टैरिफ के युक्तिकरण के माध्यम से आर्थिक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से कई उपाय प्रस्तावित करता है। यह विधेयक लागत-आधारित टैरिफ के सिद्धांत को सुदृढ़ करता है और क्रॉस-सब्सिडी को क्रमिक रूप से कम करने का प्रयास करता है, विद्युत क्षेत्र की वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए तथा उद्योगों के लिए टैरिफ में कमी करके टैरिफ को आपूर्ति की वास्तविक लागत के अनुरूप करता है। मसौदा विधेयक विद्युत वितरण में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण सुधार प्रस्तुत करता है। यद्यपि विद्युत अधिनियम, 2003 पहले से ही एक ही क्षेत्र में कई वितरण लाइसेंसधारकों के माध्यम से विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धा का प्रावधान करता है और वितरण नेटवर्क तक गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच को अनिवार्य बनाता है, लेकिन वर्तमान में

किसी भी नए वितरण लाइसेंसधारक को अपनी स्वयं की नेटवर्क अवसंरचना स्थापित करना आवश्यक है। इससे अवसंरचना की पुनरावृत्ति होती है, जिसके कारण प्रणाली की लागत बढ़ जाती है। प्रस्तावित संशोधन ऐसे दोहराव को समाप्त करने के लिए कई लाइसेंसधारकों को मौजूदा वितरण नेटवर्क का उपयोग करने में सक्षम बनाने का प्रयास करते हैं। प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, विधेयक में प्रस्ताव है कि राज्य विद्युत विनियामक आयोगों को एक ही आपूर्ति क्षेत्र में अनेक वितरण लाइसेंसधारकों के प्रचालन के लिए एक पारदर्शी फ्रेमवर्क स्थापित करना अनिवार्य किया जाए। विधेयक में यह भी प्रस्तावित है कि राज्य सरकार से परामर्श कर 1 मेगावाट से अधिक मांग वाले उपभोक्ताओं को आपूर्ति प्रदान करने की बाध्यता से वितरण लाइसेंसधारकों को छूट दी जाए। इससे वितरण लाइसेंसधारकों पर स्थिर लागत का बोझ कम होगा और अंततः उपभोक्ताओं को कम टैरिफ के रूप में लाभ मिलेगा।

(ख) : केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की, जिसका उद्देश्य देश में वित्तीय रूप से स्थिर और प्रचालनात्मक रूप से दक्ष वितरण क्षेत्र के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना है। इस स्कीम के अंतर्गत, वितरण अवसंरचना के उन्नयन और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए स्कीम के पात्र वितरण यूटिलिटी को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, बशर्ते वे पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करें, जैसे कि समय पर टैरिफ और ट्रू-अप आदेश जारी करना, त्रैमासिक और वार्षिक खातों का समय पर प्रकाशन, जेनकोज को समय पर भुगतान, सरकारी विभागों के बकाए का निपटान तथा सुधारों में न्यूनतम आवश्यक बेंचमार्क को प्राप्त करना। दिनांक 28 फरवरी 2026 तक, हानि में कमी और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए 32 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए ₹2.83 लाख करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, वितरण यूटिलिटी की वित्तीय व्यवहार्यता में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा निम्नलिखित पहलें शुरु की गई हैं:

i. राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी के उचित लेखांकन तथा समय पर सब्सिडी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अधीनस्थ विधायन और मानक संचालन प्रक्रियाएँ (एसओपी) जारी की गई हैं।
ii. विद्युत आपूर्ति से संबंधित सभी युक्तिसंगत लागतों को सुनिश्चित करने के लिए ईंधन एवं विद्युत क्रय लागत समायोजन (एफपीपीसीए) के स्वचालित पास-थ्रू तथा लागत-आधारित टैरिफ के लिए अधीनस्थ विधायन तैयार किए गए हैं।
iii. विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियमों के प्रवर्तन के माध्यम से बकाया राशि का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना।
iv. राज्य विद्युत यूटिलिटी को ऋण प्रदान करने के लिए विवेकपूर्ण मानदंड।
v. निष्पादन आधारित अतिरिक्त उधार की सीमा: सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5%।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय स्तर पर कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियाँ वित्तीय वर्ष 2021 में 21.91% से घटकर वित्तीय वर्ष 2025 में 15.04% हो गई हैं, जबकि एसीएस-एआरआर अंतर ₹0.69/किलोवाट घंटा से घटकर ₹0.06/किलोवाट घंटा हो गया है। दिनांक 31.03.2025 की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम वार वित्तीय और प्रचालनात्मक पैरामीटर अनुबंध- I पर संलग्न हैं।

(ग) : नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते प्रवेश से उत्पन्न ग्रिड स्थिरता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए कई विनियामक और प्रचालनात्मक उपाय किए गए हैं। इनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (ग्रिड से कनेक्टिविटी के लिए तकनीकी मानक) विनियम और केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (भारतीय विद्युत ग्रिड कोड) विनियमों का निर्माण और कार्यान्वयन शामिल हैं, जो ग्रिड अनुशासन और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए तकनीकी और प्रचालनात्मक आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रणाली संतुलन की सहायता करने के लिए थर्मल उत्पादन इकाइयों के लचीले संचालन को बढ़ावा दिया गया है। इसके अलावा, नवीकरणीय ऊर्जा के बड़े पैमाने पर एकीकरण को सुगम बनाने के लिए राष्ट्रीय विद्युत योजना (पारेषण) के अनुसार पारेषण अवसंरचना की योजना बनाई जा रही है और उसे मजबूत किया जा रहा है। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली (बीईएसएस) और हाइड्रो पंप्ड भंडारण प्रणाली (पीएसपी) जैसी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ईएसएस) के विकास को नवीकरणीय ऊर्जा के एकीकरण को सक्षम बनाने के लिए सुगम बनाया जा रहा है। ईएसएस के विकास के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें बीईएसएस के लिए व्यवहार्यता गैप फंडिंग, ईएसएस के लिए अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क में छूट, पीएसपी के लिए वित्तीय सहायता, ईएसएस की खरीद के लिए बोली दिशानिर्देश और ईएसएस विकास के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क शामिल हैं, जो ग्रिड में नवीकरणीय स्रोतों के बड़े पैमाने पर एकीकरण के लिए आवश्यक हैं। बेहतर पूर्वानुमान, शेड्यूलिंग और वास्तविक समय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रबंधन केंद्र (आरईएमसी) भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सहायक सेवाएँ) विनियम प्रणाली आवृत्ति बनाए रखने और विश्वसनीय ग्रिड परिचालन सुनिश्चित करने के लिए सहायक सेवाओं की खरीद के लिए एक फ्रेमवर्क बनाते हैं।

(घ) : स्मार्ट मीटरिंग समग्र तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएंडसी) हानियों को सुधारने के लिए आरडीएसएस के अंतर्गत परिकल्पित किए गए महत्वपूर्ण हस्तक्षेपों में से एक है। आरडीएसएस के अंतर्गत, 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 45 वितरण यूटिलिटी के लिए स्मार्ट मीटरिंग कार्यों को स्वीकृति दी गई है। इसमें 19.79 करोड़ उपभोक्ताओं, 52.53 लाख वितरण ट्रांसफॉर्मरों और 2.05 लाख फीडरों की स्मार्ट मीटरिंग शामिल है। अब तक, आरडीएसएस के अंतर्गत 4.54 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों ने अपने राज्य योजनाओं/अन्य स्कीमों के अंतर्गत भी स्मार्ट मीटर लगाए हैं। कुल मिलाकर, दिनांक 28 फरवरी 2026 तक देशभर में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 5.97 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। दिनांक 28 फरवरी 2026 की स्थिति के अनुसार आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटरिंग कार्यों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार विवरण अनुबंध - II पर दिया गया है।

(ङ) : केंद्र सरकार ने विद्युत (विलंब भुगतान अधिभार और संबंधित मामले) नियम, 2022, समय-समय पर संशोधित, अधिसूचित किए हैं, जो पुरानी बकाया राशि के निपटान और वर्तमान बकाया राशि का उत्पादन कंपनियों, पारेषण लाइसेंसधारकों और ट्रेडिंग लाइसेंसधारकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए एक संरचित तंत्र प्रदान करते हैं। इन नियमों के माध्यम से विलंबित भुगतान अधिभार लगाने और पहुंच को विनियमित करने के द्वारा भुगतान अनुशासन फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है ताकि भुगतान शेड्यूल का पालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, विद्युत बाजार लेन-देन में भुगतान सुरक्षा तंत्र प्रदान किए गए हैं ताकि उत्पादन कंपनियों को देय बकाया राशि का समय पर निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3370

अनुबंध-I

दिनांक 31.03.2025 तक की स्थिति के अनुसार डिस्कॉम के वित्तीय और प्रचालन मापदंड

राज्य/डिस्कॉम	एटी एंड सी हानि (%)	एसीएस-एआरआर अंतर्गत (रू./केडब्ल्यूएच)	संचयी अधिशेष/(हानि) (करोड़ रूपये)	कुल ऋण (करोड़ रूपये)
राज्य क्षेत्र	**15.40**	**0.11**	**(6,77,561)**	**7,11,402**
अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	24.14	2.22	-	-
अंडमान एवं निकोबार पीडी	24.14	2.22	-	-
आंध्र प्रदेश	7.87	(0.15)	(29,420)	77,583
एपीसीपीडीसीएल	7.95	(0.62)	(9,688)	21,204
एपीईपीडीसीएल	7.70	(0.02)	(7,155)	20,693
एपीएसपीडीसीएल	7.99	(0.01)	(12,577)	35,687
अरुणाचल प्रदेश	46.20	0.00	-	-
अरुणाचल पीडी	46.20	0.00	-	-
असम	15.44	(0.26)	(1,028)	1,131
एपीडीसीएल	15.44	(0.26)	(1,028)	1,131
बिहार	15.51	(0.41)	(16,526)	14,002
एनबीपीडीसीएल	14.49	(0.57)	(4,917)	6,509
एसबीपीडीसीएल	16.35	(0.28)	(11,608)	7,494
छत्तीसगढ़	14.25	(0.19)	(10,423)	5,428
सीएसपीडीसीएल	14.25	(0.19)	(10,423)	5,428
दिल्ली	8.36	(0.86)	-	-
एनडीएमसी	8.36	(0.86)	-	-
गोवा	10.39	0.20	-	-
गोवा पीडी	10.39	0.20	-	-
गुजरात	8.25	(0.40)	7,355	258
डीजीवीसीएल	4.26	(0.46)	2,507	26
एमजीवीसीएल	8.37	(0.24)	877	9
पीजीवीसीएल	12.73	(0.44)	2,276	208
यूजीवीसीएल	6.16	(0.33)	1,695	15
हरियाणा	11.76	0.10	(27,915)	20,311
डीएचबीवीएनएल	12.20	0.03	(13,052)	12,099
यूएचबीवीएनएल	11.12	0.20	(14,862)	8,213
हिमाचल प्रदेश	19.44	0.23	(3,391)	7,024
एचपीएसईबीएल	19.44	0.23	(3,391)	7,024
झारखंड	28.19	0.95	(20,512)	22,381
जेबीवीएनएल	28.19	0.95	(20,512)	22,381
कर्नाटक	11.92	0.69	(34,980)	47,993
बेस्कॉम	12.50	1.21	(13,819)	22,611
चेस्कोम	8.76	0.36	(4,064)	5,410
गेस्कॉम	13.48	0.10	(5,661)	6,147
हेस्कॉम	12.14	0.23	(11,398)	12,251
मेस्कॉम	10.02	(0.00)	(37)	1,575
केरल	6.61	(0.17)	(38,648)	17,638
केएसईबीएल	6.61	(0.17)	(38,648)	17,638
टीसीईडी	6.94	(0.13)	-	-
लद्दाख	26.82	(0.89)	-	-
लद्दाख पीडी	26.82	(0.89)	-	-
मध्य प्रदेश	22.76	(0.04)	(71,394)	49,239
एमपीएमएकेवीवीसीएल	29.60	0.22	(30,900)	18,176
एमपीपीएकेवीवीसीएल	12.78	(0.36)	(12,503)	14,184
एमपीपीओकेवीवीसीएल	26.66	0.02	(27,992)	16,878
महाराष्ट्र	17.69	0.56	(35,671)	90,659
बीईएसटी	5.07	0.60	-	-
एमएसईडीसीएल	18.09	(0.70)	(35,671)	90,659
मणिपुर	12.90	(0.20)	(290)	745
एमएसपीडीसीएल	12.90	(0.20)	(290)	745

राज्य/डिस्कॉम	एटी एंड सी हानि (%)	एसीएस-एआरआर अंतर्गत (रू./केडब्ल्यूएच)	संचयी अधिशेष/(हानि) (करोड़ रूपये)	कुल ऋण (करोड़ रूपये)
मेघालय	17.52	0.13	(4,962)	1,474
एमईपीडीसीएल	17.52	0.13	(4,962)	1,474
मिज़ोरम	32.31	(0.34)	-	-
मिजोरम पीडी	32.31	(0.34)	-	-
नागालैंड	48.86	(0.50)	-	-
नागालैंड पीडी	48.86	(0.50)	-	-
पुद्दुचेरी	14.72	(0.64)	-	-
पुद्दुचेरी पीडी	14.72	(0.64)	-	-
पंजाब	19.21	(0.30)	(3,404)	17,411
पीएसपीसीएल	19.21	(0.30)	(3,404)	17,411
राजस्थान	15.18	(0.04)	(90,303)	98,488
एवीवीएनएल	9.22	(0.45)	(25,563)	26,126
जेडीवीवीएनएल	21.42	0.02	(34,689)	36,793
जेवीवीएनएल	13.75	0.18	(30,052)	35,569
सिक्किम	21.84	0.33	-	-
सिक्किम पीडी	21.84	0.33	-	-
तमिलनाडु	10.96	(0.19)	(1,19,153)	1,01,782
टीएनपीडीसीएल	10.96	(0.19)	(1,19,153)	1,01,782
तेलंगाना	19.84	0.27	(69,741)	59,230
टीएसएनपीडीसीएल	23.22	0.53	(21,399)	21,885
टीएसएसपीडीसीएल	18.51	0.17	(48,342)	37,345
त्रिपुरा	29.61	1.40	(991)	842
टीएसईसीएल	29.61	1.40	(991)	842
उत्तर प्रदेश	19.54	0.73	(1,00,858)	61,395
डीवीवीएनएल	19.70	1.03	(33,974)	16,412
केस्को	14.29	1.09	(5,232)	2,243
एमवीवीएनएल	17.70	1.11	(25,236)	14,338
पीएवीवीएनएल	11.91	(0.29)	(8,782)	6,562
पीयूवीवीएनएल	30.70	1.30	(27,634)	21,840
उत्तराखंड	15.08	0.06	(5,482)	1,729
यूपीसीएल	15.08	0.06	(5,482)	1,729
पश्चिम बंगाल	17.17	(0.03)	174	14,658
डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	17.17	(0.03)	174	14,658
निजी क्षेत्र	10.05	(0.64)	30,351	14,975
दिल्ली	6.48	(1.13)	22,184	2,914
बीआरपीएल	6.70	(0.89)	12,892	894
बीवाईपीएल	7.15	(0.95)	5,650	701
टीपीडीडीएल	5.70	(1.58)	3,642	1,319
गुजरात	3.63	(0.42)	3,892	3,562
टोरेंट पावर अहमदाबाद	3.80	(0.30)	3,206	3,354
टोरेंट पावर सूरत	3.24	(0.67)	686	208
महाराष्ट्र	4.99	(2.04)	1,245	3,818
एईएमएल	4.99	(2.04)	1,245	3,818
ओडिशा	17.81	0.18	1,263	4,531
टीपीएनओडीएल	12.51	(0.06)	480	1,006
टीपीएसओडीएल	23.36	0.82	219	1,498
टीपीडब्ल्यूओडीएल	17.64	0.36	301	1,093
टीपीसीओडीएल	19.11	(0.09)	262	933
उत्तर प्रदेश	8.48	(0.15)	1,561	0
एनपीसीएल	8.48	(0.15)	1,561	0
पश्चिम बंगाल	4.68	0.19	205	151
आईपीसीएल	4.68	0.19	205	151
कुल योग	**15.04**	**0.06**	**(6,47,210)**	**7,26,378**

लो.स.अतारां.प्र.सं. 3370

अनुबंध-II

आरडीएसएस के अंतर्गत राज्य-वार स्मार्ट मीटरिंग की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटर (संख्या)		
	संस्वीकृत	अवार्ड	संस्थापित
अंडमान एवं निकोबार	84,835	84,835	-
आंध्र प्रदेश	59,19,344	59,81,561	26,01,414
अरुणाचल प्रदेश	2,98,250	2,98,250	63,151
असम	64,45,127	65,58,446	50,36,390
बिहार	26,07,153	25,98,542	22,11,931
छत्तीसगढ़	61,79,479	73,45,604	36,31,325
दिल्ली	3,521	-	-
गोवा	7,50,356	7,50,356	2,775
गुजरात	1,67,87,587	1,67,91,087	41,06,870
हिमाचल प्रदेश	28,41,908	29,18,432	8,36,338
जम्मू एवं कश्मीर	14,97,690	14,90,727	6,54,247
झारखंड	13,62,044	13,62,044	6,53,756
केरल	1,33,83,001	2,92,960	1,76,657
मध्य प्रदेश	1,34,29,206	62,66,494	36,02,845
महाराष्ट्र	2,40,04,866	2,52,73,775	95,31,245
मणिपुर	1,66,208	1,66,208	40,304
मेघालय	4,72,743	4,72,743	-
मिज़ोरम	2,92,081	2,92,081	30,987
नागालैंड	3,23,878	3,23,878	37,231
पुद्दुचेरी	4,07,052	4,07,052	26,258
पंजाब	89,81,414	6,48,607	2,788
राजस्थान	1,47,36,692	1,47,54,023	29,50,007
सिक्किम	1,48,542	1,48,542	88,900
तमिलनाडु	3,04,90,774	10,570	9,746
त्रिपुरा	5,62,870	5,27,013	2,05,380
उत्तर प्रदेश	2,85,26,730	2,85,26,730	78,42,941
उत्तराखंड	16,49,684	16,49,684	4,86,541
पश्चिम बंगाल	2,10,35,262	40,31,566	6,34,255
अखिल भारतीय कुल	**20,33,88,297**	**12,99,71,810**	**4,54,64,282**

****